

Format C-2

(राजनैतिक दल द्वारा वेबसाइट, समाचार-पत्रों/टी वी में प्रकाशित करने हेतु)
पार्टी द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

राजनैतिक दल का नाम - राष्ट्रीय लोकदल, निर्वाचन का नाम - लोकसभा- 2024
राज्य/केन्द्र शासित का नाम - उत्तर प्रदेश

निर्वाचन क्षेत्र का नाम - 4-बिजनौर, अभ्यर्थी का नाम - चन्दन चौहान

(ए) लम्बित आपराधिक मामले

क्र० सं०	न्यायालय का नाम	अपराध संख्या और तारीख	वाद की स्थिति	अपराध से सम्बंधित अधिनियम की धारायें
1.	एडीशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट - I, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)	(i)14046/2017 एवं (ii)10848/2017	लम्बित लम्बित	धारा 171E IPC, & 188 IPC धारा 171E IPC, & 188 IPC
2.	चीफ जुडिशियल (जे०डी) कोर्ट नं० 1, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)	28143/2022	लम्बित	सेक्शन 188-269-270-171H IPC Disaster Management Act 2005, 3(1) The Epidemic diseases (amendment) Ordinance, 2020

(बी) दण्डनीय अपराध का दोष सिद्ध प्रकरण के सम्बंध में विवरण - लागू नहीं

(राष्ट्रीय लोकदल पीटी.62/27 (बेसमेंट), कालकाजी एक्सटेंशन,, नई दिल्ली-110019) द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारित)